गाड़ीखाना लाडपुरा में संचालित वाहन पार्किंग को बंद करने का विरोध

कोटा, (निसं)। रामपुरा क्षेत्र में पुराने गाड़ी खाने में चल रही वाहन पार्किंग को नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा बंद किए जाने के विरोध में भाजपा नेताओं का प्रतिनिधि मंडल, स्थानीय निवासियों व व्यापारियों के साथ नगर निगम कोटा उत्तर आयुक्त से मिला व वाहन पार्किंगबंद किए जाने का ज्ञापन देकर विरोध दर्ज किया।

भाजपा नेता प्रशांत सक्सेना ने बताया कि रामपुरा में वाहन पार्किंग की समस्या को देखते हुए तत्कालीन विधायक प्रहलाद गुंजल द्वारा पुराना गाड़ीखाना लाड़पुरा में वाहन पार्किंगका निर्माण करवाकर 6 अक्टूबर 2018 को इसका लोकार्पण कर स्थानीय निवासियों व व्यापारियों को वाहन पार्किंग की समस्या से राहत दिलवाई थी। उक्त पार्किंग में बड़ी संख्या में चार पहिया वाहन पार्क होने से लोगों को बार-बार लगने वाले जाम व वाहन रखने की समस्या का समाधान हो सका था। परन्तु वर्तमान में नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा उक्त परिसर के पास पुराने बने हुए सामुदायिक भवन के जीर्णोधार के साथ ही नया निर्माण किया गया है। निगम द्वारा सामुदायिक भवन का व्यावसायिक उपयोग करने की मंशा के चलते वहां चल रही वाहन पार्किंग को बंद किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय निवासियों व व्यापारियों में भारी आक्रोश है।

कोटा में वाहन पार्किंग बंद करने से नाराज भाजपा नेताओं ने आयुक्त से मुलाकात की।

सभी का मानना है कि यहां सामुदायिक भवन से ज्यादा आवश्यकता वाहन पार्किंग स्टैंड की है उनका कहना है कि रामपुरा पूर्ण रूप से व्यावसायिक बाजार है यहां पर स्थानीय निवासियों के अलावा बड़ी संख्या में व्यापारी भी अपने वाहनों को रखने की समस्या से ग्रसित हैं जिस कारण बाजारों में बार-बार जाम लगने की स्थिति उत्पन्न होती है इसी को देखते हुए तत्कालीन विधायक प्रहलाद गुंजल द्वारा गाड़ीखाने में पार्किंग का निर्माण करवा कर समस्या से निजात दिलाई थी।

परंतु अब नगर निगम कोटा उत्तर सामुदायिक भवन को व्यावसायिक उपयोग में लेने के चलते जनता की मूलभूत आवश्यकता वाहन पार्किंगस्टैंड को बंद करना चाह रहा है जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके जो सामुदायिक भवन बनाया है उसे किराये पर देकर नगर निगम उसकी मोटी रकम वसूलना चाह रहा है जबकि पुराने शहर में रहने वाले गरीब व मध्यमवर्गीय लोग इस भवन का उपयोग

■ भाजपा नेताओं के साथ स्थानीय लोग व व्यापारी आयुक्त से मिले

नहीं कर पाएंगे व आने वाले समय में यह नगर निगम के धन की अनावश्यक बर्बादी साबित होगी।

लोगों ने निगम आयुक्त से गाड़ी खाने में संचालित पार्किंग को यथावत चालू रखने की साथ ही सामुदायिक भवन निर्माण के दौरान वहां लगी विधायक प्रहलाद गुंजल की वाहन पार्किंग की लोकार्पण पट्टिका को भी हटा दिया गया था उसे भी उचित स्थान पर पुनः लगाने की मांग की।

आयुक्त ने पार्किंगबंद किए जाने में अनभिज्ञता जाहिर की व तुरंत ही पार्किंगपुनः चालू करने के आदेश दिए जिसके बाद पार्किंगको पुनः चालू किया। ज्ञापन देने वालों में भाजपा नेता प्रशांत सक्सेना, इंद्र कुमार जैन, अमन पेसवानी, मनीष कांत कछावा, प्रशांत मेहरा, चेतन्य मलेटी, सुमित गौतम, अजय कसेरा, चंद्रकांत, रामचरण बुहडिया, पवन कछावा, आयुष जैन, मेडिकल मार्केट के व्यापारी उपस्थित थे।

स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह

कोटा, (निसं)। विप्र फाउंडेशन महानगर कार्यकारिणी कोटा का नववर्ष स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह मंगलेश्वरी गार्डन रंगबाड़ी रोड़, कोटा पर आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलन से हुआ। जिसमें मुख्य अतिथि लगातार तीसरी बार निर्वाचित कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा सपत्नीक रहे, अध्यक्षता विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा (चच्चू भैया) ने की, विशिष्ट अतिथियों में उमा शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर विकास न्यास के पुलिस अधीक्षक आशीष भार्गव, बार एसोसिएशन कोटा अध्यक्ष मनोज पुरी, सचिव अजय श्रृंगी रहे। इनके साथ ही विप्र फाउंडेशन की महिला प्रदेश अध्यक्षा शशि शर्मा, कृष्ण मुरारी चतुर्वेदी प्रदेशाध्यक्ष, जगदीश शर्मा जिला अध्यक्ष, हरिसूदन शर्मा, रघुनंदन गौतम प्रदेश अध्यक्ष विधि, कृष्णमुरारी शर्मा राधे राधे प्रदेश अध्यक्ष, नवल किशोर संरक्षक, अनिता शर्मा जिला अध्यक्ष महीला, वैभव दाधीच जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ, कौशल्या शर्मा, के.के. शर्मा जिला अध्यक्ष रावतभाटा, विकास तिवारी जिला अध्यक्ष ग्रामीण भी मंचासीन रहे, वही दिनेश शर्मा, डॉ.आरसी गौतम, दुबे, ऋषभ, आलोक शर्मा, मोहित सनाढय, प्रेम शास्त्री उपस्थित रहे।

सार-समाचार

आज कुछ क्षेत्रों में जलापूर्ति नहीं होगी

कोटा, (निसं)। नयापुरा अबलामीणी बावड़ी के पास में 1300 एमएम पाईप लाईन में लीकेज दुरुस्त करवाने का कार्य करवाने के लिए मंगलवार 13 फरवरी को प्रातः 11 से रात्रि 12 बजे तक 13 घण्टे का जल शोधन संयंत्र द्वारा जलापूर्ति बन्द रहेगी। अधिशाषी अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खंड द्वितीय ने बताया कि जल शोधन संयंत्र द्वारा जलापूर्ति बन्द होने के कारण नयापुरा, सिविल लाइन्स, लाड़पुरा, खाईरोड, खण्ड गांवडी, दोस्तपुरा, आर्मी क्षेत्र, खेडलीफाटक, मालारोड, जनकपुरी, गुरुद्वारा रोड, भीमगंजमण्डी, डडवाडा, सम्पूर्ण स्टेशन क्षेत्र, कैलाशपुरी जोन, भदाना जोन, कालातालाब जोन, सोगरिया जोन, आकाशवाणी कॉलोनी, सरस्वती कॉलोनी, पुलिस लाईन रोड की समस्त कॉलोनियां, आरके नगर, शिव नगर, बोरखेडा जोन, बारां रोड, नया नोहरा जोन, चन्द्रेसल जोन, रोटेदा, रायपुरा जोन क्षेत्र में 13 फरवरी को जलापूर्ति नहीं हो सकेगी। इसके पश्चात बुधवार 14 फरवरी को इन क्षेत्रों में प्रातः काल में जलापूर्ति कम जल दबाव से हो पायगी। उन्होंने प्रभावित क्षेत्र के समस्त पेयजल उपभोक्ताओं से आव्हान किया है कि वे 13 फरवरी को प्रातः काल की सप्लाई के समय में ही आवश्यक मात्रा में पेयजल संग्रहण करके रख लें।

रास्ते में खड़े वाहन सिरदर्द बने

छबड़ा (निसं)। कस्बे के जोशी कॉलोनी के निवासियों ने थानाधिकारी व ईओ को ज्ञापन देकर रास्ते में खडे वाहनों की समस्या का समाधान करवाने की मांग की है। कॉलोनी निवासी शेरखान, राजू कसाई, बबलू मामू, रानू, आरिश शेख, अरबाज मामू, इसरार खलीफा, अल्लाह रखा, इकरार खलीफा, शफीक, वसीम व हय्यू अली ने बताया कि लोटा भैरू रोड, गर्ल्स स्कूल के सहारे के रोड से जोशी कॉलोनी के अन्दर जाने वाले रास्ते में आए दिन वाहनो की इतनी भीड़ रहती है कि दूसरे वाहन को निकलने के लिए बहुत परेशानी आती है। रोड के पास रेडिमेड एवं टेन्ट हाउस की दुकान होने से इन दुकानदारों के ग्राहक रास्ते में ही टू व्हीलर एवं फोर व्हीलर खडा कर दुकानों से खरीददारी करते है। जिस वजह से अन्य वाहन एवं कॉलानियों वासियो को निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अगर कोई बीमार व्यक्ति को अर्जेन्ट में अस्पताल ले जाना पड़े तो रास्ते में ये वाहन अवरोध उत्पन्न करते है। समझाइश पर यह दुकानदार गाली गलौज पर उतारू हो जाते हैं।

ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ 17 को

बूंदी (निसं)। जिले में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ 17 फरवरी को मनाई जाएंगी। राजस्थान काजी कौंसिल के संरक्षक पीरजादा अब्दुल शकूर कादरी की सरपरस्ती व शहर काजी मौलाना गुलाम गौस की सदारत में आयोजित हुई हिलाल कमेटी की बैठक में माहे शाबान शरीफ के चांद की घोषणा की गई। जिला वक्फ कमेटी के सचिव मौलाना असलम ने बताया कि इस्लामिक कैलेंडर वर्ष 1445 हिजरी के 8वें माह माहे शाबान शरीफ की शुरुआत 12 फरवरी से हो जाएगी। जिला हिलाल कमेटी ने 29 रजब शनिवार को चांद देखने का एहतमाम किया था, लेकिन जिले के आसपास व मुल्क में कहीं भी 29वां चांद दिखाई नहीं देने व कहीं से भी शरई शहादत मोसुल नहीं होने पर जिला हिलाल कमेटी के मेंबरों से चर्चा की गई। इसमें 30वां चांद मानते हुए सोमवार को चांद की पहली तारीख मानी गई। ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ 17 फरवरी मनाई जाएगी। शबे बारात 25 फरवरी को मनाएंगे।

उप स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण किया

अंता (निसं)। खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी अन्ता डॉ सूर्यप्रकाश गर्ग ने बताया कि सोमवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खजूरनाकलां का औचक निरीक्षरण किया गया, इस दौरान निरीक्षण संस्थान से लेब सहायक महेन्द्र गौचर, लेब क्लीनर नरेन्द्र योगी अनुपस्थित पाये गये। उप स्वास्थ्य केन्द्र केवडा में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रातः 9.55 बजे देरी से बिना यूनिफार्म के उपस्थित हुई, अनपुस्थित रहे कार्मिकों को एवं समय से उपस्थित नही होने वाले कार्मिकों को नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जायेगी। पीएचसी पर चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्साकर्मियों को चिकित्सालय की कमियॉ को दूर करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये, साथ ही रिकोर्ड की जॉच भी की गई।

मतदाताओं को जागरुक किया

कोटा, (निसं)। लोकसभा चुनाव के मध्यनजर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किये जाने के लिए जिला एवं विधानसभा स्तर पर स्वीप गतिविधियों की कार्यशाला स्वीप नोडल अधिकारी ममता तिवाड़ी की अध्यक्षता में सोमवार को सियाम ऑडिटोरियम में आयोजित की गई। पांच सत्र में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें स्वीप की गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जिला स्वीप नोडल अधिकारी ने बताया कि मिशन 75 के तहत प्रत्येक बूथ पर न्यूनतम 75 प्रतिशत मतदान का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने सभी विभागों से आव्हान किया कि वह लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने में अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभाएं। सहायक जिला स्वीप नोडल अधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि प्राथमिक तौर पर आवश्यक है कि वंचित पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए एवं अगर कोई त्रुटि है तो उसका सुधार कराया जाए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक ओपी तोषनीवाल ने बताया की उनका विभाग दिव्यांगजन, वरिष्ठजन एवं ट्रांसजेंडर को स्वीप गतिविधि से जोड़कर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करवाएगा।

कलेक्टर एम.बी.एस. अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे

कोटा, (निसं)। जिला कलक्टर डॉ रविंद्र गोस्वामी ने सोमवार को एमबीएस अस्पताल के न्यू ओपीडी ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नए व्यवस्थाओं पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और उन्हें ठीक करने की निर्देश दिए।

लेखा शाखा की स्थिति देख कार्मिकों को लेखा शाखा को पूर्ण रूप से साफ एवं व्यवस्थित करने के निर्देश दिये। उन्होंने देर से आने वाले कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अधीक्षक को पाबंद किया। उन्होंने अस्पताल के कॉरिडोर में जानकारी के लिए लगाई गई प्रचार-प्रसार की सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले में परिवर्तित करने के लिए अधीक्षक को निर्देशित किया।

■ आर.जी.एच.एस. के पांचों काउंटर को सुचारू करने के लिए पाबंद किया

कोटा जिला कलेक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश प्रदान किए।

जिला कलक्टर ने न्यू ओपीडी ब्लॉक में आरजीएचएस काउंटर पर दो कार्मिकों की छुट्टी होने के कारण मरीजों की लंबी कतार देखकर निर्देशित किया की पांचो काउंटर को सुचारु किया जाए एवं भीड़ बढ़ने व मौसमी बीमारियों की स्थिति में पांच के स्थान पर सात काउंटर भी चलाएं जा सके। उन्होंने कहा की ओपीडी ब्लॉक के सीसीटीवी का डिस्प्ले आउटपुट अधीक्षक अपने कमरे में लें और अगर भीड़ बढ़ने जैसी अव्यवस्था होती है तो तुरंत समस्या का समाधान किया जाए। उन्होंने ऑनलाइन पर्ची चढ़ाने के लिए भी ऑपरेटर को पाबंद किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ऑपरेटर यह सुनिश्चित करें कि पर्ची की ऑनलाइन फीडिंग उसी दिन की जाऐं। उन्होंने दवाओं के सही तरीके से संधारण हेतु भी कार्मिकों को पाबंद किया।

उन्होंने अधीक्षक को निर्देशित किया कि वह प्रत्येक डॉक्टर की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के माध्यम से कॉरिडोर में देना सुनिश्चित करें ताकि हर मरीज आसानी से डॉक्टर की उपलब्धता एवं डॉक्टर के राउंड पर जाने की स्थिति से अवगत रहे। उन्होंने निर्देशित किया कि सुपर स्पेशलिटी की जो सुविधा साप्ताहिक रूप से एमबीएस में दी जा रही हैं उसके लिए डॉक्टर की उपलब्धता तिथि, दिन व समय की जानकारी भी समग्र रूप से डिस्प्ले की जाए ताकि एमबीएस में मरीजों को पूर्ण लाभ मिल सके। उन्होंने कहा प्रत्येक डॉक्टर का नाम उसकी टेबल पर लिखा रहे ताकि मरीज को यह जानकारी हो सके कि वह किस चिकित्सक से इलाज करवा रहा है। निरीक्षण में एडीएम बृजमोहन बैरवा ने अधीक्षक धर्मराज मीणा एवं एडिशनल प्रिंसिपल बीएल शेखावत को आवश्यक निर्देश प्रदान किये।

पर्यटन स्थलों को साफ रखने के निर्देश दिए

कोटा, (निसं)। जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक सोमवार को जिला कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी की अध्यक्ष्यता में कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित की गई। जिसमें जिले के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

उन्होंने किशोर सागर तालाब पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए बारहदरी रोड को 24 घंटे खोलने का निर्णय लिया। जिला कलक्टर ने राजकीय कला महाविद्यालय के परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने के लिए पर्यटन विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने सेवन वंडर्स उद्यान में आधे घंटे की बैंड प्रदर्शन के लिए पर्यटन विभाग को निर्देशित किया ताकि अधिक से अधिक पर्यटक आनंद ले सकें। छात्रों एवं पर्यटकों के लिए सुरक्षित ट्रेकिंग स्थान चिन्हित करने के लिए कहा ताकि छात्र प्रकृति के करीब रहकर तनावमुक्त रह सकें।

कलश यात्रा निकाली

झालावाड़ (निसं)। शान्ति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में गायत्री शक्ति पीठ झालावाड़ द्वारा आयोजित किए जा रहे धार्मिक कार्यक्रमों के तहत सोमवार को राधा रमण मन्दिर परिसर से एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गायत्री शक्ति पीठ के प्रवक्ता ओम पाठक ने बताया कि गायत्री शक्ति पीठ झालावाड़ द्वारा आयोजित किये जा रहे 108 कुण्डीय गायत्री महायज्ञ तथा गायत्री नव चेतना केन्द्र के भूमि पूजन कार्यक्रम के तहत सोमवार को राधारमण मन्दिर से एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। परम्परागत वस्त्रों में महिलाओं ने अपने सर पर कलश रखे तथा मंगल गीतों के साथ कलश यात्रा प्रारम्भ हुई, इससे पूर्व विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। कलश यात्रा में बैण्ड बाजो सहित झांकियां सजी हुई थी। एक वाहन में कलश को सजाया गया, कलश यात्रा में महिलाएं-पुरूष गायत्री मंत्र का जाप करते चल रहे थे।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4634 जाहिर आम सूचना दिनांक - 12.2.24

आवास संख्या 2-एच-27 रंगबाड़ी कोटा का आवंटनम मंडल द्वारा श्री मोहम्मद सलीम पुत्र श्री अब्दुल हक को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री मोहम्मद सलीम पुत्र श्री अब्दुल हक के नाम दिनांक 15.03.2021 को किया गया। पंजीयन उपरांत श्री मोहम्मद सलीम पुत्र श्री अब्दुल हक द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 05.04.2021 को श्री सुरेश राठौर पुत्र श्री रामेश्वर राठौर को किया गया। श्री सुरेश राठौर पुत्र श्री रामेश्वर राठौर का नाम दिनांक 27.09.2021 को विक्रय पत्र के आधार पर मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री सुरेश राठौर पुत्र श्री रामेश्वर राठौर द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 05.06.2023 को श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री राधा किशन शर्मा को किया गया। श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री राधा किशन शर्मा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास संख्या 2-एच-27 रंगबाड़ी कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री राधा किशन शर्मा के नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री राधा किशन शर्मा के नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री राधा किशन शर्मा के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4629 जाहिर आम सूचना दिनांक - 12.2.24

आवास संख्या 1-भ-43 विज्ञान नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री अर्जुन दास पुत्र श्री केशवदास को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री अर्जुन दास पुत्र श्री केशवदास द्वारा दिनांक 31.05.1993 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री अर्जुन दास पुत्र श्री केशवदास की मृत्यु दिनांक 23.11.1993 को एवं इनकी पत्नी श्रीमती कलावंती की मृत्यु दिनांक 14.11.1998 को हो चुकी है। श्री अर्जुन दास की मृत्यु हो जाने के उपरांत इनके समस्त वारिसानों में श्रीमती लीला राजवानी पत्नी श्री अनिल राजवानी पुत्री स्व. श्री अर्जुन दास, श्रीमती कान्ता पत्नी श्री राहुल भट्ट पुत्री स्व. श्री अर्जुन दास, श्रीमती कीर्ति मसन्द पत्नी श्री मुकेश मसन्द पुत्री स्व. श्री अर्जुन दास, श्रीमती मोनिका अम्बवानी पुत्री स्व. श्री अर्जुन दास एवं सुश्री निशा अम्बवानी पुत्री स्व. श्री अर्जुन दास द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये स्वत्व परित्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 14.03.2007 को अपने भाई श्री मनीष अम्बवानी पुत्र स्व. श्री अर्जुन दास के पक्ष में किया गया। श्री मनीष अम्बवानी पुत्र स्व. श्री अर्जुन दास का नाम दिनांक 08.10.2009 को स्वत्व परित्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री मनीष अम्बवानी पुत्र स्व. श्री अर्जुन दास द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 08.12.2022 को श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री बिरेन्द्र महतो को किया गया। श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री बिरेन्द्र महतो द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-भ-43 विज्ञान नगर कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में संयुक्त रुप से दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री बिरेन्द्र महतो के नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री बिरेन्द्र महतो का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री बिरेन्द्र महतो के नामदर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4633 जाहिर आम सूचना दिनांक - 12.2.24

आवास संख्या 1-सी-4 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री सईद अहमद कुरेशी पुत्र श्री अब्दुल रशीद कुरेशी को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री सईद अहमद कुरेशी पुत्र श्री अब्दुल रशीद कुरेशी द्वारा दिनांक 23.03.1992 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्री सईद अहमद कुरेशी पुत्र श्री अब्दुल रशीद कुरेशी द्वारा इस आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 27.06.2006 को श्रीमती दिव्या सब्बरवाल पत्नी श्री संजीव सब्बरवाल को किया गया। श्रीमती दिव्या सब्बरवाल पत्नी श्री संजीव सब्बरवाल का नाम दिनांक 06.10.2006 को विक्रय पत्र के आधार पर मंडल अभिलेख में दर्ज किया जा चुका है। तत्पश्चात श्रीमती दिव्या सब्बरवाल पत्नी श्री संजीव सब्बरवाल द्वारा इस आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 01.03.2023 को श्री ऋषभ जैन पुत्र श्री हरीराम जैन को किया गया। श्री ऋषभ जैन पुत्र श्री हरीराम जैन का नाम दिनांक 12.07.2023 को विक्रय पत्र के आधार पर मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री ऋषभ जैन पुत्र श्री हरीराम जैन द्वारा इस आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 11.09.2023 को श्री भगवती प्रसाद सैन पुत्र स्व. श्री बद्रीलाल सैन एवं श्री विजय कुमार सैन पुत्र श्री भगवती प्रसाद सैन को संयुक्त रुप से किया गया। श्री भगवती प्रसाद सैन पुत्र स्व. श्री बद्रीलाल सैन एवं श्री विजय कुमार सैन पुत्र श्री भगवती प्रसाद सैन द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर 1-सी-4 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में संयुक्त रुप से दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री भगवती प्रसाद सैन पुत्र स्व. श्री बद्रीलाल सैन एवं श्री विजय कुमार सैन पुत्र श्री भगवती प्रसाद सैन के नाम संयुक्त रुप से दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री भगवती प्रसाद सैन पुत्र स्व. श्री बद्रीलाल सैन एवं श्री विजय कुमार सैन पुत्र श्री भगवती प्रसाद सैन का नाम संयुक्त रुप से दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री भगवती प्रसाद सैन पुत्र स्व. श्री बद्रीलाल सैन एवं श्री विजय कुमार सैन पुत्र श्री भगवती प्रसाद सैन के नाम संयुक्त रुप से दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4647 जाहिर आम सूचना दिनांक - 12.2.24

आवास संख्या 1-सी-14 एस.एफ.एस. तलवण्डी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती पुष्पा दास पत्नी श्री सी.आर. दास को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्रीमती पुष्पा दास पत्नी श्री सी.आर. दास द्वारा दिनांक 06.12.1993 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्रीमती पुष्पा दास पत्नी श्री सी.आर. दास द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 02.09.2003 को श्रीमती मंजू कासलीवाल पत्नी श्री देशनिधि कासलीवाल को किया गया। श्रीमती मंजू कासलीवाल पत्नी श्री देशनिधि कासलीवाल का नाम दिनांक 09.06.2010 को विक्रय पत्र के आधार पर मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्रीमती मंजू कासलीवाल पत्नी श्री देशनिधि कासलीवाल द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 07.04.2014 को श्री पंकज जैन पुत्र श्री तुलसीराम जैन, श्री मनोज जैन पुत्र श्री लालचंद जैन, श्री प्रमोद जैन पुत्र श्री लालचंद जैन एवं श्री प्रदीप जैन पुत्र श्री लालचंद जैन को संयुक्त रुप से किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री पंकज जैन पुत्र श्री तुलसीराम जैन की मृत्यु दिनांक 17.06.2023 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसों में श्री ऋषभ जैन एवं श्री वैभव पिसरान स्व. श्री पंकज जैन द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 04.09.2023 को अपनी माता श्रीमती रेखा जैन पत्नी स्व. पंकज जैन के पक्ष में किया गया। श्रीमती रेखा जैन पत्नी स्व. श्री पंकज जैन श्री मनोज जैन पुत्र श्री लालचंद जैन, श्री प्रमोद जैन पुत्र श्री लालचंद जैन एवं श्री प्रदीप जैन पुत्र श्री लालचंद जैन द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-सी14 एस.एफ.एस. तलवण्डी कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर संयुक्त रुप से करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्रीमती रेखा जैन पत्नी स्व. श्री पंकज जैन श्री मनोज जैन पुत्र श्री लालचंद जैन, श्री प्रमोद जैन पुत्र श्री लालचंद जैन एवं श्री प्रदीप जैन पुत्र श्री लालचंद जैन के नाम संयुक्त रुप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती रेखा जैन पत्नी स्व. श्री पंकज जैन श्री मनोज जैन पुत्र श्री लालचंद जैन, श्री प्रमोद जैन पुत्र श्री लालचंद जैन एवं श्री प्रदीप जैन पुत्र श्री लालचंद जैन के नाम संयुक्त रुप से किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती रेखा जैन पत्नी स्व. श्री पंकज जैन श्री मनोज जैन पुत्र श्री लालचंद जैन, श्री प्रमोद जैन पुत्र श्री लालचंद जैन एवं श्री प्रदीप जैन पुत्र श्री लालचंद जैन के नाम संयुक्त रुप से कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक-एफ15/कृ.भू.रू./2024/1342 विज्ञप्ति दिनांक 7.2.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम भदाना योजना आर.के.कोलोनी खसरा नं. 164 व 165 में स्थित भूखण्ड संख्या 120 के नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यास कार्यालय में शाहजहॉ पुत्री स्व.श्री रमजान अली निवासी-121, गली नं. 2 रंगपुर रोड, आर.के.कोलोनी, भदाना, कोटा जंक्शन, कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 1719 दिनांक 04.10.2013 से श्री घीस्या लाल मीणा पुत्र श्री रामसहाय मीण के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टेधारी द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जर्ये मुख्तारआम श्रीमती शहनाज पत्नी श्री मतीन द्वारा जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 07.02.2019 से शाहजहॉ पुत्री स्व. श्री रमजान अली को कर दिया है।

अतः शाहजहॉ पुत्री स्व.श्री रमजान अली के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजरने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उप सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक-एफ15/कृ.भू.रू./2024/1361 विज्ञप्ति दिनांक 12.2.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कुन्हाडी में स्थित कृषि भूमि योजना लक्ष्मण विहार-II खसरा नं. 375 में स्थित भूखण्ड संख्या 105 आवेदक/आवेदिका श्री प्रकाश लखेरा पुत्र श्री रामेश्वर दयाल लखेरा निवासी